



Neutral Citation No. - 2026:AHC:54161

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट सी याचिका संख्या - 6194 वर्ष 2026

मेहविश और अन्य

.....याचिकाकर्ता

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और 3 अन्य

.....प्रतिवादी

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता: आलोक कुमार श्रीवास्तव, योगेश कुमार

प्रतिवादी के अधिवक्ता: सी.एस.सी.

न्यायालय संख्या - 81

माननीय न्यायमूर्ति विवेक कुमार सिंह

1. याचिकाकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता और राज्य प्रतिवादियों के विद्वान स्थायी अधिवक्ता श्री विजय कुमार श्रीवास्तव की बात सुनी गई।

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है।

सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



2. इस रिट याचिका के माध्यम से याचिकाकर्ताओं ने प्रतिवादियों को उनके शांतिपूर्ण वैवाहिक जीवन में हस्तक्षेप न करने का निर्देश देने हेतु परमादेश रिट जारी करने और उन्हें सुरक्षा प्रदान करने का निर्देश देने की प्रार्थना की है।

3. दिनांक 16.02.2026 के पूर्व आदेश के अनुसार, विद्वान स्थायी अधिवक्ता ने निर्देश प्रस्तुत किए हैं जिन्हें रिकॉर्ड में ले लिया गया है। इन निर्देशों के आधार पर यह निवेदन किया जाता है कि याचिकाकर्ताओं के विवाह के संबंध में उनके विरुद्ध कोई एफ.आई.आर. दर्ज नहीं की गई थी। वर्तमान रिट याचिका दायर करने के बाद वे पुलिस अधिकारियों के समक्ष उपस्थित हुए। जांच के दौरान निकाहनामा में कुछ भी आपत्तिजनक नहीं पाया गया और याचिकाकर्ताओं के आयु प्रमाण पत्र और आधार कार्ड वैध थे।

4. याचिकाकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि याचिकाकर्ता बालिग हैं और उन्होंने 09.02.2026 को रीति-रिवाजों के अनुसार विवाह संपन्न किया है। उन्होंने आगे प्रस्तुत किया कि यह याचिकाकर्ताओं का पहला विवाह है। यह भी कहा गया है कि इस संबंध में उनके विरुद्ध कोई एफआईआर दर्ज नहीं की गई है और उनका विवाह उनकी स्वतंत्र सहमति से संपन्न हुआ है बिना किसी दबाव के। यह भी आरोप लगाया गया है कि याचिकाकर्ताओं को इस प्रकार विवाह करने के कारण प्रतिवादियों द्वारा धमकी और उत्पीड़न का सामना करना पड़ रहा है।

5. **लता सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, 2006 सीआर.एल.जे. 3309** में, अंतरजातीय विवाह करने वाले लड़के और लड़की के माता-पिता द्वारा उत्पीड़न के मामले से निपटते हुए, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने देश भर के प्रशासन/पुलिस अधिकारियों को निम्नलिखित निर्देश जारी किए हैं:

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है।

सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



“यह एक स्वतंत्र और लोकतांत्रिक देश है, और एक बार जब कोई व्यक्ति बालिग हो जाता है, तो वह जिससे चाहे उससे विवाह कर सकता है। यदि लड़के या लड़की के माता-पिता अंतरजातीय या अंतरधार्मिक विवाह को स्वीकार नहीं करते हैं, तो वे अधिकतम यह कर सकते हैं कि वे अपने बेटे या बेटी से सामाजिक संबंध तोड़ लें, लेकिन वे धमकी नहीं दे सकते, हिंसा नहीं कर सकते या उकसा नहीं सकते, और ऐसे अंतरजातीय या अंतरधार्मिक विवाह करने वाले व्यक्ति को परेशान नहीं कर सकते। इसलिए, हम निर्देश देते हैं कि देश भर के प्रशासन/पुलिस अधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि यदि कोई लड़का या लड़की जो बालिग है, किसी बालिग महिला या पुरुष से अंतरजातीय या अंतरधार्मिक विवाह करता है, तो दंपति को किसी के द्वारा परेशान न किया जाए, न ही उन्हें धमकी दी जाए या हिंसा की जाए, और जो कोई भी ऐसी धमकी देता है, परेशान करता है या हिंसा करता है, स्वयं या उसके उकसावे पर, उसके खिलाफ पुलिस द्वारा आपराधिक कार्यवाही शुरू करके दंडात्मक कार्रवाई की जाए और आगे ऐसे व्यक्तियों के खिलाफ कानून द्वारा निर्धारित कड़ी कार्रवाई की जाती है।”

6. भगवान दास बनाम राज्य (एनसीटी ऑफ दिल्ली), (2011) 6 एससीसी 396 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अनुच्छेद 28 और 29 में निम्नलिखित निर्णय दिया:-

“28. अक्सर प्यार में पड़े युवा जोड़ों को मनमानी न्यायालयों के प्रकोप से बचने के लिए पुलिस लाइन या सुरक्षा गृहों में शरण लेनी पड़ती है। लता सिंह मामले में हमने यह माना है कि “इज्जत” के नाम पर हत्या में कुछ भी “सम्मानजनक” नहीं है, और ये कट्टर और सामंती मानसिकता वाले लोगों द्वारा की गई बर्बर और क्रूर हत्याएं हैं। हमारी राय में, इज्जत के नाम पर हत्याएं, चाहे किसी भी कारण से हों, उन दुर्लभतम मामलों की श्रेणी अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है।

सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



में आती हैं, जिनके लिए मृत्युदंड दिया जाना चाहिए। अब समय आ गया है कि इन बर्बर, सामंती प्रथाओं को जड़ से खत्म किया जाए, जो हमारे राष्ट्र पर कलंक हैं। ऐसे घृणित, असभ्य व्यवहार को रोकने के लिए यह आवश्यक है। जो भी व्यक्ति "इज्जत" के नाम पर हत्या करने की योजना बना रहे हैं, उन्हें पता होना चाहिए कि फांसी उनका इंतजार कर रही है।

29. इस निर्णय की एक प्रति सभी उच्च न्यायालयों के रजिस्ट्रार जनरल/रजिस्ट्रार को भेजी जाए, जो इसे सभी न्यायालयों के न्यायाधीशों को वितरित करेंगे। उच्च न्यायालयों के रजिस्ट्रार जनरल/रजिस्ट्रार इसकी प्रतियां सभी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के सत्र न्यायाधीशों/अतिरिक्त सत्र न्यायाधीशों को भी वितरित करेंगे। निर्णय की प्रतियां देश के सभी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों/गृह सचिवों/पुलिस महानिदेशकों को भी भेजी जाएंगी। गृह सचिव और पुलिस महानिदेशक इसे राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के सभी एसएसपी/एसपी को सूचना के लिए वितरित करेंगे।”

7. विद्वान स्थायी अधिवक्ता द्वारा यह तर्क दिया गया है कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जारी उपरोक्त टिप्पणियों और निर्देशों को उत्तर प्रदेश राज्य में लागू किया जा रहा है और इस स्तर पर इस न्यायालय द्वारा कोई और निर्देश जारी करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि यह याचिकाकर्ताओं की मात्र आशंका है कि निजी प्रतिवादी हिंसा का कोई कृत्य कर सकते हैं और/या याचिकाकर्ताओं को परेशान कर सकते हैं।

8. मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर विचार करते हुए, लेकिन मामले की खूबियों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, रिट याचिका का अंतिम निस्तारण इस निर्देश के साथ किया जाता है कि

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है।

सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



याचिकाकर्ता विवाहित जोड़े के रूप में एक साथ रहने के लिए स्वतंत्र हैं और किसी भी व्यक्ति को उनके शांतिपूर्ण जीवन में हस्तक्षेप करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। यदि याचिकाकर्ताओं के शांतिपूर्ण जीवन में कोई बाधा उत्पन्न होती है, तो याचिकाकर्ता इस आदेश की एक प्रति के साथ संबंधित वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक या पुलिस अधीक्षक से संपर्क करेंगे, जो मामले की जांच करेंगे और याचिकाकर्ताओं को तत्काल सुरक्षा प्रदान करेंगे। पुलिस प्राधिकरण यह भी सुनिश्चित करेगा कि किसी निर्दोष व्यक्ति को परेशान या अपमानित न किया जाए, यदि उसने याचिकाकर्ताओं के शांतिपूर्ण वैवाहिक जीवन में कोई बाधा उत्पन्न नहीं की है।

9. याचिकाकर्ताओं को यह भी निर्देश दिया जाता है कि दिनांक 09.02.2026 को हुए विवाह का पंजीकरण आज से दो महीने के भीतर उत्तर प्रदेश विवाह पंजीकरण नियम, 2017 के प्रावधानों के अनुसार कराया जाए। यदि याचिकाकर्ता निर्धारित समय के भीतर विवाह का पंजीकरण नहीं कराते हैं, तो यहाँ दी गई सुरक्षा समाप्त हो जाएगी।

10. हालांकि, यह स्पष्ट किया जाता है कि इस न्यायालय ने याचिकाकर्ताओं द्वारा दावा किए गए विवाह की वैधता और/या उनके विवाह प्रमाण पत्र की प्रामाणिकता या याचिकाकर्ताओं की सही आयु पर कोई निर्णय नहीं दिया है। यह भी स्पष्ट किया जाता है कि यह आदेश याचिकाकर्ताओं को कानून के अनुसार शुरू की गई किसी भी कार्रवाई या कार्यवाही से बचाने के लिए पारित नहीं किया गया है।

11. चूंकि याचिका का प्रारंभिक चरण में ही निस्तारण किया जा रहा है, इसलिए इससे पीड़ित कोई भी व्यक्ति, यदि आदेश तथ्यों को छुपाकर या गलत बयानों के आधार पर प्राप्त किया गया है, तो उसे वापस लेने के लिए आवेदन करने के लिए स्वतंत्र है।

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है।

सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



12. हालांकि, यह आदेश पुलिस अधिकारियों के समक्ष लंबित किसी भी जांच में बाधा नहीं बनेगा।

3. उपरोक्त टिप्पणियों के साथ रिट याचिका का निस्तारण किया जाता है।

(न्यायमूर्ति विवेक कुमार सिंह)

18 मार्च, 2026

ए.पी. पांडे

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है।

सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।